

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

उमेश सिंह एवं अन्य

बनाम

कपिलदेव सिंह एवं अन्य

1978 की प्रथम अपील संख्या 667

29 अक्टूबर 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री रुद्र प्रकाश मिश्रा)

विचार के लिए मुद्दा

वर्तमान अपील द्वितीय अतिरिक्त उप न्यायाधीश, मुंगेर द्वारा 1973/3/1977 के स्वतंत्र वाद संख्या 116 में पारित दिनांक 24.06.1978 के निर्णय और दिनांक 04.07.1978 की डिक्री के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी के पक्ष में मुकदमा निर्णय दिया था।

हेडनोट्स

अपील - उस निर्णय के विरुद्ध दायर की जाती है जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने वादी के पक्ष में वाद का आदेश दिया था।

निर्णय - 9.9.2005 से एक पुत्री अब सहदायिक संपत्ति के बँटवारे का दावा करने की हकदार हो गई है, जबकि सहदायिक की पत्नी का संपत्ति में अपना अधिकार दावा करने का अधिकार किसी भी तरह से समाप्त नहीं होता। (अनुच्छेद 31)

यदि पिता और पुत्रों (और अब पुत्रियों) के बीच सहदायिक संपत्ति का बँटवारा होता है, तो पिता की पत्नी और पिता की विधवा माता को पुत्र (या पुत्री) के बराबर एक हिस्सा मिलेगा। (अनुच्छेद 32) विचारण न्यायालय ने वादी को दो-तिहाई हिस्सा और उत्तरदाता-अपीलकर्ताओं को एक-तिहाई हिस्सा आवंटित करके त्रुटि की है और इसके परिणामस्वरूप विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज

किया गया निष्कर्ष विधि के अनुरूप नहीं पाया गया है। इस प्रकार, दोनों बिंदुओं पर उत्तरदाता-अपीलकर्ताओं के पक्ष में निर्णय दिया जाता है। (अनुच्छेद 33) अपील स्वीकार की जाती है। (अनुच्छेद 35)

न्याय दृष्टान्त

एआईआर 2003 एससी 3800; (2008) 1 एससीसी 465; 1999 (2) पीएलजेआर 258; कल्याणी बनाम नारायणन एआईआर 1980 एससी 1173 में रिपोर्ट किया गया; विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा और अन्य (2020) 9 एससीसी 1 में रिपोर्ट किया गया; प्रशांत कुमार साहू और अन्य बनाम चारुलता साहू और अन्य (2023) 9 एससीसी 641 में रिपोर्ट किया गया

अधिनियमों की सूची

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

मुख्य शब्दों की सूची

बंधक विलेख, वंशावली, सह-संवारक, स्वतंत्र वाद, मिताक्षर कानून

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री के. एन. चौबे, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री सुमित कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री राणा ईश्वर चंद्रा, अधिवक्ता

रिपोर्टर जिनके द्वारा हेडनोट्स तैयार किया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
1978 की प्रथम अपील सं.667**

- =====
- 1.1. उमेश सिंह, पिता- मथुरा सिंह, निवासी- गाँव- मालदह,थाना - बरबीघा, परगना -मालदह, जिला मुंगेर।
 - 1.2. नलिनी रंजन, पिता -उमेश सिंह, निवासी - गाँव - मालदह, थाना - बरबीघा, परगना- मालदह, जिला मुंगेर।
 - 1.3. शंभू कुमार, पिता-उमेश सिंह , निवासी- गाँव -मालदह, थाना - बरबीघा, परगना- मालदह, जिला -मुंगेर।
 - 1.4. पूनम कुमारी, पिता- उमेश सिंह, निवासी - गाँव- मालदह, थाना - बरबीघा, परगना- मालदह, जिला- मुंगेर।
 - 1.5. बीरेंद्र कुमार,-पिता- स्वर्गीय पितू सिंह, निवासी गाँव -बरबीघा, परगना मालदह, जिला- मुंगेर।
 - 1.6. शशि प्रकाश, पिता- बीरेंद्र सिंह, निवासी गाँव- मालदह के निवासी, थाना-बरबीघा, परगना- मालदह, जिला मुंगेर।
 - 1.7. अंजली देवी, निवासी गाँव - मालदह, थाना- बरबीघा, परगना- मालदह, जिला मुंगेर।
 - 1.8. ममता देवी, निवासी गाँव मालदह, थाना - बरबीघा, परगना- मालदह, जिला मुंगेर।
 - 1.9. नीतू कुमारी, निवासी गाँव- मालदह की निवासी, थाना- बरबीघा, परगना- मालदह, जिला मुंगेर।
 - 2.0 छोटी कुमारी, निवासी गाँव- मालदह, थाना - बरबीघा, परगना- मालदह, जिला मुंगेर।
 - 2.1 श्रीमती कमला देवी, पति- हरे कृष्ण शर्मा, ग्राम- मालदह, थाना- बरबीघा, परगना मालदह, जिला मुंगेर।
 - 2.2 राम कुमार, पत्नी- प्रमिला देवी ,निवासी गाँव- पकारिया, थाना- नवादा, जिला- नवादा।

- 2.3 चंदन कुमार, माता- प्रमिला देवी, निवासी ग्राम- पकारिया, थाना - नवादा, जिला नवादा।
- 2.4 श्रीमती देशो देवी, पति-मथुरा सिंह, निवासी गाँव- मालदह, थाना- बरबीघा, परगना - मालदह, जिला- मुंगेर।
3. श्रीमती सुनीता देवी, पति- उमेश सिंह, निवासी गाँव- मालदह, थाना- बरबीघा, परगना- मालदह, जिला मुंगेर।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

2. कपिलदेव सिंह, पिता-सरयुग सिंह, निवासी-गाँव- मालदह, थाना- बरबीघा, परगना- मालदह, जिला- मुंगेर।
3. अर्जुन प्रसाद सिंह, पिता- सरयुग सिंह, निवासी-गाँव- मालदह, थाना- बरबीघा, परगना - मालदह, जिला मुंगेर।
- 4.1. दुर्गेश देवी, पति- स्वर्गीय सुखदेव सिंह, निवासी-गाँव और डाक- मालदह, थाना -बरबीघा, जिला-शेखपुरा।
- 4.2. कौशलेन्द्र प्रसाद, पिता-स्वर्गीय सुखदेव सिंह, ग्राम- डाक और थाना- लखीमपुर, जिला-जमुई।
- 4.3. पंकज कुमार, पिता - स्वर्गीय सुखदेव सिंह ,गाँव,डाक और थाना- लखीमपुर जिला-जमुई।
- 4.4. गौतम कुमार, पिता - स्वर्गीय सुखदेव सिंह, गाँव, डाक और थाना - लखीमपुर जिला- जमुई।
- 4.5. खुशबू कुमारी, पिता -स्वर्गीय सुखदेव सिंह ,निवासी- गाँव,डाक और थाना- लखीमपुर, जिला-जमुई।
- 5.1. संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वत अधिवक्ता ने जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया है कि यद्यपि शुरु में संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं ने निगम के साथ काम

किया है। बसुदेव प्रसाद, स्वर्गीय हरिहर सिंह के पुत्र, निवासी-गाँव भदोखरा, थाना - नवादा, जिला नवादा।

5.2. इंदु कुमारी, माता- श्रीमती चंदा कुमारी, निवासी-गाँव भदोखरा, थाना- नवादा, जिला- नवादा

5.3. बिंदु कुमारी, माता- श्रीमती चंदा कुमारी, निवासी- गाँव भदोखरा, थाना- नवादा, जिला- नवादा।

5.4. ललित कुमार, पिता- स्वर्गीय बासुदेव प्रसाद, निवासी-गाँव-भदोखरा, थाना - नवादाह, जिला- नवादा।

5.5. शारदा रंजन, पिता- स्वर्गीय बासुदेव प्रसाद, निवासी-गाँव- भदोखरा, थाना - नवादा, जिला- नवादा।

6. सिद्धेश्वर महतो, पिता - बिशुन महतो, निवासी-गाँव-मालदह, टोला- नरडीह, थाना- बरबीघा, परगना- मालदह, जिला मुंगेर।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री के. एन. चौबे, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री सुमित कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री राणा ईश्वर चंद्रा, अधिवक्ता

=====

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री रुद्र प्रकाश मिश्रा

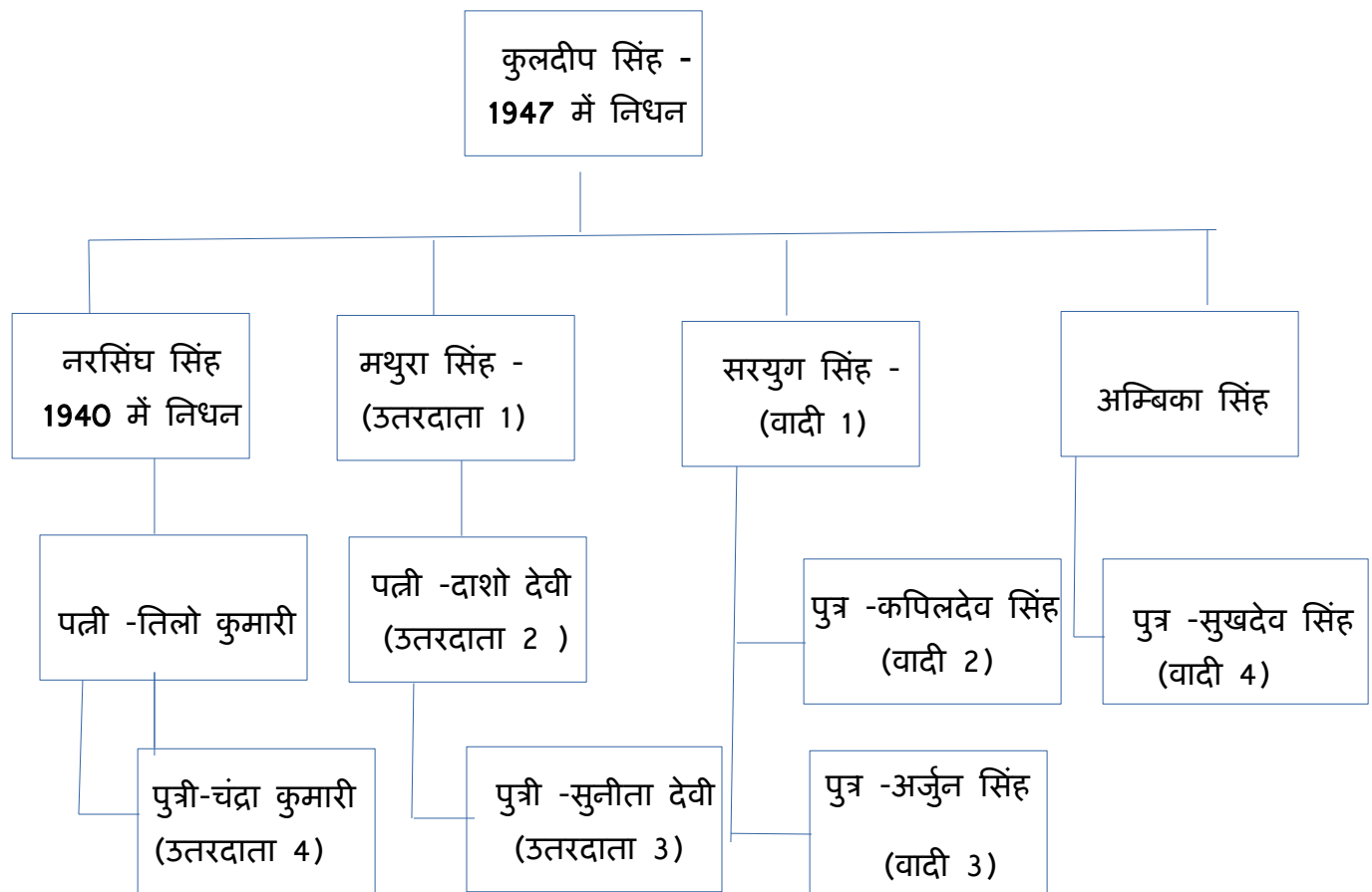
सी.ए.वी. निर्णय

दिनांक: 29-10-2024

वर्तमान अपील द्वितीय अपर उप न्यायाधीश, मुंगेर द्वारा 1973/3/1977 के स्वतंत्र वाद संख्या 116 में पारित दिनांक 24.06.1978 के निर्णय और दिनांक 04.07.1978 की डिक्री के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी के पक्ष में मुकदमा चलाया था।

2. मामले की बेहतर समझ के लिए, पक्षकारों को उनकी स्थिति के अनुसार विचारण न्यायालय के समक्ष भेजा जाएगा।

3. वादी (यहाँ उत्तरदाता) का मामला यह है कि वादी और उत्तरदाता प्रथम पक्ष संयुक्त परिवार हैं जो हिंदू विधि के मिताक्षरा स्कूल द्वारा शासित हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं जैसा कि नीचे दी गई वंशावली तालिका में दिखाया गया है:-



सामान्य पूर्वज कुलदीप सिंह (पिता) के स्वामित्व में थे और उनके पास शिकायत की अनुसूची "ए" में उल्लिखित ज़मीनें थीं। कुलदीप सिंह के जीवनकाल में, सबसे बड़े पुत्र नरसिंह सिंह की वर्ष 1940 में मृत्यु हो गई और वे अपनी विधवा तिलो कुमारी और एक नाबालिग बेटी चंदा कुमारी को पीछे छोड़ गए। नरसिंह सिंह की मृत्यु के बाद, कुलदीप सिंह अपने तीन जीवित पुत्रों, अंबिका सिंह, मथुरा सिंह (उत्तरदाता संख्या 1) और सरयुग सिंह (वादी संख्या 1) के साथ संपत्तियों के संयुक्त कब्जे में आ गए और विधवा तिलो कुमारी ने भरण-पोषण और अपनी बेटी के भरण-पोषण के बदले में संयुक्त संपत्ति में अपना अधिकार छोड़ दिया और उन्हें अपने और अपनी नाबालिग बेटी, चंदा कुमारी (उत्तरदाता संख्या 4) के भरण-पोषण के लिए प्रतिवर्ष 25 मन अनाज दिया गया। कुलदीप सिंह की मृत्यु वर्ष 1948 में हुई और कुलदीप सिंह की मृत्यु के बाद, मथुरा सिंह वादी और प्रतिवादियों के संयुक्त परिवार के कर्ता बन गए और उसके बाद, नरसिंह सिंह और तिलो कुमारी की पुत्री चंदा कुमारी का विवाह वर्ष 1949 में संयुक्त परिवार के कोष से हुआ। तिलो कुमारी को कभी भी संयुक्त परिवार की संपत्ति का कोई भी हिस्सा नहीं मिला। वादीगण का यह भी मामला है कि तिलो कुमारी ने बिना किसी कानूनी आवश्यकता के, मथुरा सिंह (उत्तरदाता संख्या-1), देशो देवी (उत्तरदाता संख्या-2, मथुरा सिंह की पत्नी) और सुनीता देवी (उत्तरदाता संख्या-3, मथुरा सिंह की पुत्रवधू) के पक्ष में तीन पंजीकृत विक्रय विलेखों के माध्यम से संयुक्त परिवार की संपत्ति के कुछ हिस्सों को बेच दिया, जिनका वर्णन वादपत्र की अनुसूची (बी, सी और डी) में किया गया है, जो क्रमशः 26.02.1969 और 11.09.1972 के विक्रय विलेख हैं और उसके बाद, तिलो कुमारी की मृत्यु वर्ष 1972 (25.10.1972 को) हो गई। वादीगण का यह भी मामला है कि उत्तरदाता संख्या 1 से 3 और उत्तरदाता संख्या 4 ने वादपत्र की अनुसूची बी, सी और डी में निर्दिष्ट संपत्तियों पर

कभी कब्जा नहीं किया। बेईमानी के इरादे से मथुरा सिंह (उत्तरदाता संख्या-1) के दुर्यवहार और कदाचार के कारण वादाधीन संपत्तियों के संयुक्त प्रबंधन में कठिनाइयाँ आ रही थीं, इसलिए वादीगण ने उप-न्यायाधीश-॥, मुंगेर के विद्वान न्यायालय में वाद संख्या 116/1973 के तहत वाद दायर किया, जिसमें वाद की अनुसूची-ए में वर्णित वादाधीन संपत्ति में वादीगण के 2/3 हिस्से का विभाजन करने और यह घोषित करने का अनुरोध किया गया कि तिलो कुमारी द्वारा क्रमशः 26.02.1969 और 11.09.1972 को निष्पादित बिक्री विलेख, जो वाद की अनुसूची 'बी' और 'डी' में वर्णित भू-संपत्तियों के संबंध में मथुरा सिंह (उत्तरदाता संख्या-1), देशो कुमारी (उत्तरदाता संख्या-2) और सुनीता देवी (उत्तरदाता संख्या-3) के पक्ष में थे, वादाधीन संपत्तियों के संबंध में वादीगण पर बाध्यकारी नहीं हैं। इसके अलावा, वर्ष 1978 में, वादीगण ने वाद की वैधता पर चुनौती वापस ले ली। अपीलकर्ताओं के पक्ष में तीन विक्रय विलेख प्रस्तुत किए और मुकदमे को विभाजन के मुकदमे में परिवर्तित कर दिया।

4. उत्तरदाता-अपीलकर्ताओं का मामला यह है कि मथुरा सिंह, उत्तरदाता संख्या 1, देशो देवी, उत्तरदाता संख्या 2 और सुनीता देवी, उत्तरदाता संख्या 3, उपस्थित हुए और मुकदमे का विरोध किया। उनकी ओर से एक संयुक्त लिखित बयान दायर किया गया है जिसमें वादी के दावों का खंडन किया गया है और दलील दी गई है कि नरसिंह सिंह, अंबिका सिंह, मथुरा सिंह और सरजुग सिंह के बीच संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों का निजी विभाजन वर्ष 1942 में कुलदीप सिंह (उनके पिता) के जीवनकाल में बाँटों और सीमाओं के द्वारा हुआ था, जिसके तहत प्रत्येक शाखा को 3.33 एकड़ भूमि उसके विशेष हिस्से में आवंटित की गई थी, जिसका वर्णन लिखित बयान की अनुसूची-1 में किया गया है। यह भी दलील दी गई कि तिलो कुमारी ने अपने पति की संपत्तियों पर पूर्ण अधिकार और

स्वामित्व प्राप्त कर लिया। चंद्रा कुमारी (उत्तरदाता संख्या-4) ने अपने अतिरिक्त लिखित बयान में दलील दी कि उनकी माँ, तिलो कुमारी ने उत्तरदाता संख्या-1 और 3 के पक्ष में दिनांक 25.02.1969 और 11.09.1972 को निष्पादित बिक्री दस्तावेज वैध और वास्तविक हैं, जो उनकी कानूनी आवश्यकता के लिए निष्पादित किए गए थे। विभाजन के बाद, प्रत्येक शाखा ने संपत्तियों का अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से निपटान किया, जो उनके विशेष हिस्से में आ गई। वादी संख्या-1, सरजुग सिंह ने अपना हिस्सा भूमि का उपभोक्ता बंधक के रूप में अवधेश कुमार सिंह को दिनांक 19.4.1949 के पंजीकृत उपभोक्ता बंधक विलेख के तहत दिया, जबकि अंबिका सिंह ने भूखंड संख्या 699 से संबंधित अपनी भूमि का मालदेह उच्च विद्यालय के सचिव के साथ आदान-प्रदान किया। यह कहना गलत है कि नरसिंह सिंह की विधवा तिलो कुमारी ने अपने पति की संपत्तियों पर अपना अधिकार छोड़ दिया था या उन्होंने अपने और अपनी नाबालिग बेटी चंद्रा कुमारी के भरण-पोषण के लिए पारिवारिक समझौते के तहत सालाना 25 मन अनाज आवंटित किया था। तिलो कुमारी ने अपने पति की संपत्तियों पर पूर्ण अधिकार और हक हासिल कर लिया। वह उन ज़मीनों पर वास्तविक रूप से कब्ज़ा करने लगीं जो पूरी तरह से उनके पति नरसिंह सिंह की थीं। इसके बाद, उन्होंने इन ज़मीनों को पंजीकृत बिक्री विलेखों के तहत और प्रतिफल के लिए इन प्रतिवादियों को हस्तांतरित कर दिया। तिलो कुमारी द्वारा इन प्रतिवादियों के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख वास्तविक और वैध दस्तावेज हैं। ये उत्तरदाता तिलो कुमारी से खरीदी गई संपत्तियों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। यह कहना गलत है कि वाद की अनुसूची 'ए' में वर्णित संपत्तियाँ नरसिंह सिंह या कुलदीप सिंह की मृत्यु के बाद भी वादी और मथुरा सिंह उत्तरदाता संख्या 1 की संयुक्त पारिवारिक संपत्तियाँ बनी रहीं। यह सत्य है कि उत्तरदाता संख्या 4, चंद्रा कुमारी का विवाह वर्ष 1949 में हुआ था। लेकिन यह कहना गलत है कि

उनके विवाह का खर्च संयुक्त परिवार निधि से वहन किया गया था। प्रतिवादियों ने आगे दलील दी है कि प्रस्तुत वाद, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, विचारणीय नहीं है, कि पक्षकारों के दोष के कारण वाद गलत है और वादी के पास वाद दायर करने का कोई कारण या अधिकार नहीं है।

5. उत्तरदाता संख्या 1 से 3 ने मुकदमे में अतिरिक्त लिखित बयान दायर किया जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया कि नरसिंह सिंह ने 21/22.5.1943 के विक्रय विलेख के निष्पादन में भाग नहीं लिया, जिसे कुलदीप सिंह, अंबिका सिंह, सरजुग सिंह और मथुरा सिंह ने उमा महतों के पक्ष में निष्पादित किया था, जिससे यह पता चलता है कि नरसिंह सिंह अपने पिता और भाइयों से अलग थे और विक्रय विलेख संयुक्त परिवार के भरण-पोषण के लिए निष्पादित नहीं किया गया था, बैजनाथ ने एस.सी.सी. वाद संख्या में डिक्री प्राप्त की थी। 467/1953 में अंबिका सिंह के विरुद्ध हस्तलिखित नोट के आधार पर यह निर्णय दिया गया कि अंबिका सिंह ने डिक्री के बकाया की पूर्ति के लिए वर्ष 1957 में अपनी विशिष्ट भूमि बेची थी, और क्रेता की संतुष्टि के लिए सरजुग सिंह, वादी संख्या 1, और मथुरा सिंह, उत्तरदाता संख्या 1, ने अंबिका सिंह के साथ मिलकर ऐसे विक्रय विलेख का निष्पादन किया, जो संयुक्त परिवार के लाभ के लिए कभी निष्पादित नहीं किया गया और सरजुग सिंह, वादी संख्या 1, और उनके पुत्र कपिलदेव सिंह और अर्जुन सिंह ने प्लॉट संख्या 5944 से संबंधित अपनी भूमि, पंजीकृत रेहान विलेख दिनांक 10.6.1965 के अंतर्गत बैजू रबी दास को उपभोक्ता बंधक के रूप में दे दी।

6. उत्तरदाता संख्या-4, अर्थात्, चंदा कुमारी ने भी लिखित बयान दायर किया, लेकिन उन्होंने मामले की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के समय वाद का प्रतिवाद नहीं

किया और उत्तरदाता संख्या-5 (द्वितीय पक्ष, अर्थात्), सिद्धेश्वर महतो भी न तो वाद में उपस्थित हुए और न ही वाद का प्रतिवाद किया।

7. विद्वान विचारण न्यायालय ने दलीलों पर विचार करने और पक्षों को सुनने के बाद, निम्नलिखित मुद्दे तय किए:

- I. क्या वाद, जैसा कि तैयार किया गया है, पोषणीय है?
- II. क्या वादी के पास वाद हेतुक या वाद दायर करने का अधिकार है?
- III. क्या पक्षकारों के दोष के कारण वाद अनुचित है?
- IV. क्या नरसिंह सिंह और उनके भाइयों के बीच संयुक्त परिवार की संपत्ति का पूर्व में सीमा-पत्रों द्वारा विभाजन हुआ था, जैसा कि प्रतिवादियों द्वारा आरोपित किया गया है?
- V. क्या तिलो कुमारी ने भरण-पोषण के बदले संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपना अधिकार या हित त्याग दिया था?
- VI. क्या विवादित भूमि के संबंध में वादी और प्रतिवादियों के बीच स्वामित्व और कब्जे की एकता है?
- VII. क्या तिलो कुमारी को वाद की अनुसूची B, C और D में वर्णित भूमि के संबंध में उत्तरदाता संख्या 1 से 3 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने का अधिकार या स्वामित्व था?

VIII. क्या वादीगण, वादपत्र की अनुसूची 'क' में वर्णित संपत्ति में अपने हिस्से, यदि कोई हो, के विभाजन हेतु प्रारंभिक डिक्री के हकदार हैं?

IX. वादीगण किस अनुतोष या अनुतोषों, यदि कोई हो, के हकदार हैं?

8. इस मामले में, वादी पक्ष की ओर से 13 गवाहों, राघो महतों (गवाह संख्या 1), काली महतों (गवाह संख्या 2), जगदीश सिंह (गवाह संख्या 3), राजेंद्र प्रसाद सिंह (गवाह संख्या 4), शनिचर महतों (गवाह संख्या 5), नंद किशोर प्रसाद सिंह (गवाह संख्या 6), सुखदेव सिंह (गवाह संख्या 7), सिया शरण सिंह (गवाह संख्या 8), शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (गवाह संख्या 9), भगवान सिंह (गवाह संख्या 10), सुखदेव सिंह (गवाह संख्या 11), सरयुग सिंह (गवाह संख्या 12) और कपिलदेव सिंह (गवाह संख्या 13) से भी पूछताछ की गई। प्रतिवादियों की ओर से भी 13 गवाहों, से पूछताछ की गई। सिद्धेश्वर महतो (गवाह संख्या 1), बासुदेव सिंह (गवाह संख्या 2), जनार्दन सिंह (गवाह संख्या 3), नरेश प्रसाद सिंह (गवाह संख्या 4), बृजनंदन सिंह (गवाह संख्या 5), जदुनंदन प्रसाद (गवाह संख्या 6), सूरज देव प्रसाद (गवाह संख्या 7), श्योदानी सिंह (गवाह संख्या 8), हरन सिंह (गवाह संख्या 9), नीलकंठ रवानी (गवाह संख्या 10), अलख रूप लाल (गवाह संख्या 11), सीता राम सिंह (गवाह संख्या 12) और मथुरा सिंह (गवाह संख्या 13) से पूछताछ की गई। पक्षों की ओर से मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और दस्तावेज भी प्रदर्शित किए गए। उपर्युक्त मुद्दों का विश्लेषण करने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी के पक्ष में वाद का आदेश दिया और अतः प्रतिवादियों (यहाँ अपीलकर्ता) ने वर्तमान अपील प्रस्तुत की है।

9. अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों की ओर से श्री सुमित कुमार की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कमल नयन चौबे और उत्तरदाता-वादी की ओर से श्री राणा ईश्वर चंद्र को सुना गया।

10. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ऐसा कोई तर्क नहीं दिया गया कि मथुरा सिंह (उत्तरदाता संख्या 1) ने संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में तिलो कुमारी से भूमि अर्जित की थी और विचारण न्यायालय में इस संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया गया और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, यदि तिलो कुमारी द्वारा कोई हित अर्जित किया गया था जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अनुसार पूर्ण स्वामी बन गया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि तिलो कुमारी द्वारा निष्पादित उपरोक्त विक्रय विलेख वैध और वास्तविक है, इसलिए इसकी अन्य जांच नहीं की जा सकती। बाद में, विचारण न्यायालय ने माना कि अभी भी कब्जे की एकता थी और बिक्री विलेख को बरकरार रखा और तिलो कुमारी ने अपना अधिकार नहीं छोड़ा। इस संबंध में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने महाकाव्य **रामचरितमानस** के एक अंश का हवाला देते हुए तर्क दिया, "दुई कक होकह एक समय भुआला | हँ सब ठठाई फुलाइब गला" (*क्या यह संभव है हे राजा! एक ही समय में हँसी से गर्जना और मुँह फुलाना?*) [इसका अर्थ है कि बिक्री विलेखों की वैधता और संयुक्त परिवार के स्वरूप से संबंधित दोनों निष्कर्ष एक साथ नहीं चलेंगे]। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि कुलदीप सिंह की सभी चार शाखाओं को वादाधीन संपत्ति का 1/4 हिस्सा मिलना चाहिए था। वादी ने नरसिंह सिंह की विधवा द्वारा अपीलकर्ताओं के पक्ष में निष्पादित तीन बिक्री विलेखों की वैधता पर चुनौती वापस ले ली और मुकदमे को विभाजन के मुकदमे में बदल दिया। विचारण न्यायालय ने सकारात्मक

रूप से माना कि विक्रय विलेख वास्तविक हैं और तीनों विक्रय विलेखों की वैधता या अन्यथा के संबंध में प्रार्थना को हटाने के बाद, उस पर विचार करने और यह निष्कर्ष दर्ज करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था कि विक्रय विलेखों के बावजूद, संपत्ति संयुक्त संपत्ति है और यहाँ तक कि वे संपत्तियाँ भी जो इसके अंतर्गत आती हैं और यह निष्कर्ष गलत है। दूसरी बात, यह दर्शाने के लिए ठोस सामग्री और विश्वसनीय मौखिक साक्ष्य मौजूद हैं कि पूर्व में विभाजन हुआ था और इसलिए विभाजन का वाद अनुरक्षणीय नहीं है, लेकिन विचारण न्यायालय ने मुद्दा संख्या 4 पर निर्णय देते हुए यह माना कि उत्तरदाता यह साबित करने में विफल रहे हैं कि पूर्व में विभाजन हुआ था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि यदि तीनों विक्रय विलेखों द्वारा कवर की गई संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति माना जाता है, तो इसे चार हिस्सों में विभाजित किया जाना अनिवार्य है, अर्थात्, कुलदीप सिंह के चार बेटों की शाखाओं में। सरजुग सिंह और अंबिका सिंह की शाखाओं वाले वादी के पक्ष में 2/3 और मथुरा सिंह की शाखा के लिए एक तिहाई हिस्से की डिक्री ने नरसिंह सिंह की शाखा को हिस्सा दे दिया है, जिनकी कम से कम बेटी उत्तरदाता संख्या 4 के रूप में उपलब्ध है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि परिवार का एक व्यक्तिगत सदस्य संयुक्त परिवार का सदस्य रहते हुए संपत्ति अर्जित कर सकता है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं ने पूर्व विभाजन के अपने मामले की दलील दी और उसे साबित किया और यह भी साबित किया कि नरसिंह सिंह कुलदीप सिंह के जीवनकाल में ही अलग हो चुके थे क्योंकि वह 1943 में अंबिका सिंह, मथुरा सिंह और सरजुग सिंह के साथ सह-हस्तांतरणकर्ता नहीं थे। किसी भी स्थिति में, उत्तरदाता संख्या 1 से 3 के 1969 और 1972 में तिलो कुमारी से अपनी अलग और अनन्य संपत्ति अर्जित करने के अधिकारों पर कोई रोक नहीं थी, जिन्हें हस्तांतरण का पूर्ण और निर्णायक अधिकार था। इसके अलावा, वादी

ने अपने वादपत्र में संशोधन करके प्रतिवादियों के पक्ष में बिक्री विलेखों की प्रामाणिकता स्वीकार कर ली है और अब उन्हें किसी भी तरह से चुनौती देने से रोक दिया गया है। यह प्रस्ताव कि विधवा को अलग करने का पूर्ण अधिकार था और प्रतिवादियों को रखने का अप्रतिबंधित अधिकार है, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों द्वारा कवर किया गया है, अर्थात् एआईआर 2003 एससी 3800, (2008) 1 एससीसी 465 और 1999 (2) पीएलजेआर 258

11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि परिवार में पूर्व में विभाजन हो चुका था और इस प्रकार, विभाजन के लिए वर्तमान वाद स्वीकार्य नहीं है। यह खेदजनक लेकिन कठोर तथ्य है कि पिछली शताब्दी के दौरान विशेष शिक्षा और सामाजिक उथल-पुथल के कारण हिंदू संयुक्त परिवार की पुरानी वास्तविकता में भारी बदलाव आया है। विभाजन/पृथक्करण नियम बन गया है और संयुक्तता केवल एक अपवाद है। इस सामाजिक सत्य का न्यायालय द्वारा न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता है। विभाजन का अर्थ हमेशा बाँध और सीमा द्वारा विभाजन नहीं होता है। केवल गंभीरता पर ध्यान देना भी विभाजन का गठन कर सकता है और इस प्रकार विचारण न्यायालय ने गलत तरीके से यह माना है कि उत्तरदाता यह साबित करने में विफल रहे हैं कि नरसिंह और उनके भाइयों के बीच संयुक्त परिवार की संपत्तियों का पूर्व में विभाजन हुआ था, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आम बात है कि अशिक्षित या यहाँ तक कि अर्ध-शिक्षित क्रेता, सभी रैयतों/सह-दायित्वों/भूमि धारकों पर विभाजन के बावजूद विक्रेता के रूप में शामिल होने का आग्रह करता है ताकि विक्रेता में विश्वास पैदा हो सके। जीवन के इस कठोर तथ्य को निम्न न्यायालय ने नज़रअंदाज़ कर दिया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादियों ने दलील दी है और साबित किया है कि नरसिंह सिंह की

मृत्यु 1949 में हुई थी। बेशक, पारिवारिक भूमि के संबंध में 1943 में एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था। चूँकि नरसिंह सिंह 1942 से परिवार से अलग थे, इसलिए उन्होंने अपने भाइयों अंबिका, मथुरा और सरजुग को सह-हस्तांतरक के रूप में शामिल नहीं किया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि यह मानते हुए कि निम्न न्यायालय द्वारा पहले से आवंटित एक तिहाई के अलावा, अपीलकर्ता भी भूमि के हकदार हैं। तिलो कुमारी द्वारा हस्तांतरित भूमि और मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, संयुक्त परिवार की संपत्ति में वादी को दो-तिहाई हिस्सा देना अनुचित और अस्थिर है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अंततः प्रार्थना करते हैं कि अपील को यह मानते हुए स्वीकार किया जाए कि निम्न न्यायालय द्वारा पहले ही आवंटित एक-तिहाई हिस्से के अलावा, अपीलकर्ता भी भूमि के हकदार हैं। तिलो कुमारी द्वारा हस्तांतरित भूमि और मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, संयुक्त परिवार की संपत्ति में वादी को दो-तिहाई हिस्सा देना अनुचित और अस्थिर है।

12. उत्तरदाता-वादी के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि सीमाओं के आधार पर कोई विभाजन नहीं हुआ था और संयुक्त परिवार की संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे में एकता थी। इसके बाद विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर उचित विचार और चर्चा के बाद मौखिक और दस्तावेजी रूप से पाया और माना कि वादी और प्रतिवादियों के बीच सीमाओं के आधार पर संयुक्त परिवार की संपत्तियों का कोई पूर्व विभाजन नहीं हुआ था और इस प्रकार मुद्दा संख्या 4 वादी के पक्ष में तय किया गया। इसके अलावा मुद्दा संख्या 5 के संबंध में, यह कहा गया है कि वाद में संशोधन के मद्देनजर, उक्त मुद्दे की कोई प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि नरसिंह सिंह की मृत्यु के बाद, उनकी विधवा तिलो कुमारी को संयुक्त परिवार की संपत्तियों में अपने पति के

हिस्से पर अधिकार और स्वामित्व प्राप्त हुआ। प्रतिवादियों के विद्वानअधिवक्ताने आगे दलील दी कि मुद्दे संख्या 5 के संबंध में। धारा 6 और 7 में कहा गया है कि उत्तरदाता संख्या-4, अर्थात् मथुरा सिंह, संयुक्त परिवार का कर्ता था जो संयुक्त परिवार के मामलों का प्रबंधन करता था और तिलो कुमारी के कामकाज की देखभाल करता था। उत्तरदाता संख्या-4 ने कहा कि मथुरा सिंह ने प्रदर्श-ए/2 से ए/4, यानी एक्सटेंशन के अंतर्गत आने वाली ज़मीन खरीदी थी। तिलो कुमारी से 'बी, सी और डी' अपने नाम से और अपनी पत्नी और बहू के नाम से अपने अलग-अलग कोषों से, जबकि उन्होंने स्वयं अपनी परीक्षा (अपने बयान के कंडिका-26) में स्वीकार किया था कि उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था और इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने पाया और माना कि उक्त तिलो कुमारी द्वारा बिक्री विलेख (प्रदर्श ए/2, से ए/4) निष्पादित करना सही था और उक्त भूमि पर, वादी और उत्तरदाता संख्या- 1 से 3 दोनों पक्षों के स्वामित्व और कब्जे में एकता है क्योंकि उत्तरदाता संख्या-4 ने संयुक्त परिवार की संपत्ति पर दावा नहीं किया है)। इसके अलावा, मुद्दा संख्या-3 के संबंध में, विचारण न्यायालय ने सही पाया और माना है कि वादी संख्या-1, 3 और उत्तरदाता संख्या-1 की सभी तीन शाखाएँ, जो अपनी शाखा के प्रमुख और प्रतिनिधि हैं, ने अपनी शाखा के कनिष्ठ सदस्यों की ओर से मुकदमे का प्रतिनिधित्व किया है और इसलिए मुकदमे में पक्षकारों का दोष नहीं है। उत्तरदाता-वादी के विद्वानअधिवक्ताने प्रस्तुत किया कि मुद्दा संख्या 2, 8 और 9 पर एक साथ विचार किया गया था और उक्त मुद्दों पर चर्चा के बाद, विद्वान निम्न न्यायालय ने पाया और माना कि वादी के पास वादपत्र की अनुसूची 'ए' में वर्णित संयुक्त परिवार की संपत्तियों में अपने हिस्से के विभाजन के लिए वाद दायर करने का कारण है। इसने आगे यह भी माना कि वादी को वादपत्र की अनुसूची 'ए' में वर्णित संयुक्त परिवार की संपत्तियों में कुल मिलाकर दो-तिहाई हिस्सा मिला है, जबकि

उत्तरदाता संख्या 1 (मथुरा सिंह) को उक्त संपत्तियों में एक-तिहाई हिस्सा मिला है। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री में इस माननीय न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

13. अपीलकर्ताओं और प्रतिवादियों दोनों को सुनने के बाद, विचारणीय मुख्य बिंदु ये हैं:

1. क्या निम्न न्यायालय का निर्णय और डिक्री कानून की दृष्टि में मान्य है? और

2. क्या वादी/उत्तरदाता वादाधीन संपत्ति में 2/3 हिस्से के हकदार हैं या 1/2 हिस्से के?

14. निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले, कुछ कानूनी आदेश प्राप्त करना ज़रूरी है, जिन्हें देखा जाना आवश्यक है। मुल्ला हिंदू विधि के 25 वें संस्करण का अध्याय-XII संयुक्त हिंदू परिवार सहदायिक और सहदायिक संपत्ति-मिताक्षरा विधि से संबंधित है। अनुच्छेद 210 संयुक्त हिंदू परिवार के बारे में बताता है जिसमें एक ही पूर्वज के वंशज सभी व्यक्ति शामिल होते हैं, और इसमें उनकी पत्नियाँ और अविवाहित पुत्रियाँ भी शामिल हैं। यह संविधान के बारे में बात करता है और इसके लिए, एक ही पूर्वज के वंशजों को मान्यता देता है और इसमें उनकी पत्नियाँ और अविवाहित बेटियाँ भी शामिल हैं। अनुच्छेद 211 दर्शाता है कि हिंदू सहदायिक संयुक्त परिवार की तुलना में बहुत संकीर्ण निकाय है और इसमें केवल वे व्यक्ति शामिल होते हैं जो जन्म से ही संयुक्त या सहदायिक संपत्ति में रुचि प्राप्त करते हैं। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद, सहदायिक की पुत्री को भी सहदायिक के पुत्रों के साथ सहदायिक के रूप में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 212 एक संयुक्त हिंदू परिवार की अवधारणा के बारे में बात करता है, जो सहदायिक बनता है, वह

एक सामान्य पुरुष पूर्वज का होता है, जिसके पुरुष वंश में उसके वंशज ऐसे पूर्वज से लेकर उसके सहित चार अंशों के भीतर होते हैं (या पूर्वज को छोड़कर तीन अंश)। सहदायिक विशुद्ध रूप से कानून का एक प्राणी है। कोई भी महिला सहदायिक नहीं हो सकती, हालाँकि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन से पहले एक महिला संयुक्त हिंदू परिवार की सदस्य हो सकती थी। संशोधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, सहदायिक की बेटियों को उसके बेटों के साथ सहदायिक के रूप में शामिल किया गया है और उन्हें अपने आप में सहदायिक के रूप में मान्यता दी गई है। हालाँकि, अनुच्छेद 213 सहदायिकता के बारे में बात करता है जो सामान्य पूर्वज से चार अंशों तक सीमित नहीं है। नियम यह है कि संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य, जो अंतिम धारक से चार अंशों से अधिक दूर नहीं है, विभाजन की मांग कर सकता है, चाहे वह सामान्य पूर्वज या संपत्ति के मूल धारक से कितना भी दूर क्यों न हो।

15. अनुच्छेद 214 अविभाजित सहदायिक हित की पहचान करता है और इसका सार स्वामित्व की एकता है। मिताक्षरा कानून द्वारा शासित अविभाजित परिवार की वास्तविक अवधारणा के अनुसार, परिवार का कोई भी व्यक्तिगत सदस्य, जब तक वह अविभाजित रहता है, संयुक्त और अविभाजित संपत्ति में यह निर्धारित नहीं कर सकता कि उसका, उस विशेष सदस्य का, एक निश्चित हिस्सा है, एक-तिहाई या एक-चौथाई। उसका हित एक अस्थिर हित है, जो परिवार में मृत्यु से बढ़ सकता है और परिवार में जन्म से कम हो सकता है।

16. अनुच्छेद 218 संपत्ति के वर्गीकरण से संबंधित है जिसे दो भागों में विभाजित किया गया है (1) संयुक्त परिवार की संपत्ति (2) अलग संपत्ति। संयुक्त परिवार की संपत्ति में (1) पैतृक संपत्ति, (2) सहदायिकों की अलग संपत्ति शामिल है जो सामान्य सहदायिक

स्टॉक में शामिल है। संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा पैतृक निधि की सहायता से संयुक्त रूप से अर्जित संपत्ति भी संयुक्त परिवार की संपत्ति होगी। इसका मुख्य घटक यह है कि प्रत्येक सहदायिक का संयुक्त हित/कब्जा हो, उत्तरजीविता द्वारा रहने योग्य (संशोधन से पहले) और जन्म से पुरुष का अधिकार हो (संशोधन से पहले), जबकि अलग या स्व-अर्जित संपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वतंत्र स्रोत से अर्जित की जाती है, भले ही वह सहदायिक ही क्यों न हो।

17. अनुच्छेद 219 संयुक्त परिवार या सहदायिक संपत्ति की घटनाओं के बारे में बताता है जिसमें प्रत्येक सहदायिक का संयुक्त हित और संयुक्त कब्जा होता है। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय में सहदायिक की घटनाओं का सारांश दिया गया है। संयुक्त परिवार या सहदायिक संपत्ति की मुख्य घटनाएँ निम्नलिखित हैं। यह:

(क) उत्तराधिकार द्वारा नहीं, बल्कि उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित होती है (227) इस प्रस्ताव को अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 से 30 के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, उन मामलों में जहाँ ये धाराएँ लागू होती हैं;

(ख) वह संपत्ति है जिसमें पुरुष और महिला संतान (पुत्रियाँ) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन के बाद जन्म से ही हित प्राप्त कर लेती हैं।

18. अनुच्छेद 220 अलग या स्व-अर्जित संपत्ति की घटनाओं के बारे में बताता है। एक हिंदू, भले ही वह संयुक्त हो, अलग संपत्ति का स्वामी हो सकता है। यह विभाजन योग्य नहीं है और उसकी मृत्यु पर निर्वसीयत, यह उत्तराधिकार द्वारा उसके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होती है, न कि उत्तरजीविता द्वारा जीवित सहदायिकों को।

19. अनुच्छेद 221 (क) पैतृक संपत्ति की प्रकृति, (ख) नाना से विरासत में मिली संपत्ति, (ग) संपार्श्विक से विरासत में मिली संपत्ति - महिलाओं से विरासत में मिली संपत्ति (घ) विभाजन पर आवंटित हिस्सा (ङ) पैतृक पूर्वज से उपहार या वसीयत द्वारा प्राप्त संपत्ति, (च) संवर्द्धन और (छ) प्रत्यावर्तित संपत्ति से संबंधित है।

20. किस प्रकार की संपत्ति को पृथक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 228 के अंतर्गत विधिवत वर्गीकृत है। बेहतर मूल्यांकन के लिए इसे आगे सूचीबद्ध किया गया है:-

“228. **पृथक संपत्ति।** निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से अर्जित संपत्ति, अधिग्रहणकर्ता की पृथक संपत्ति है; इसे 'स्व-अर्जित' संपत्ति कहा जाता है, और यह 222 में उल्लिखित घटनाओं के अधीन है।

(1) *बाधित विरासत-* बाधित विरासत (सपरति-बंध्य दया) के रूप में विरासत में मिली संपत्ति अर्थात्, किसी हिंदू को अपने पिता, पिता के पिता या पिता के पिता के पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से विरासत में मिली संपत्ति।

(2) *उपहार-* एक पिता द्वारा अपने पुत्र को स्नेहवश दी गई पैतृक चल संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा उपहार में देना, उसकी अलग संपत्ति होती है।

(3) *सरकारी अनुदान-* संयुक्त परिवार के किसी सदस्य को सरकार द्वारा दी गई संपत्ति आदाता की अलग संपत्ति होती

है, जब तक कि अनुदान से यह स्पष्ट न हो कि यह संपत्ति परिवार के लाभ के लिए थी।

(4) *परिवार को मिली संपत्ति* - पैतृक संपत्ति परिवार को मिली संपत्ति, और संयुक्त परिवार की संपत्ति की सहायता के बिना किसी सदस्य द्वारा पुनः प्राप्त की गई संपत्ति। पिता द्वारा प्रतिकूल कब्जे से अर्जित संपत्ति उसकी अलग संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति नहीं।

(5) *पृथक संपत्ति की आय*- पृथक संपत्ति की आय और ऐसी आय से की गई खरीदारी।

(6) *विभाजन पर हिस्सा* - किसी सहदायिक द्वारा विभाजन पर अपने हिस्से के रूप में प्राप्त संपत्ति, जिसका कोई पुरुष संतान नहीं है (धारा 221(4) देखें)। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन द्वारा सहदायिक की पुत्रियों को अपने अधिकार में सहदायिक के रूप में शामिल करने से यह स्थिति अब मूलतः बदल गई है। इसलिए, यदि किसी सहदायिक ने विभाजन पर हिस्सा प्राप्त किया है और उसका कोई पुरुष संतान नहीं है, बल्कि एक महिला संतान है, तो विभाजन पर उसे आवंटित संपत्ति सहदायिक संपत्ति की प्रकृति की होगी। इसलिए उपरोक्त प्रस्ताव को इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए कि विभाजन पर हिस्सा आवंटित होने के

बाद, कोई संतान न होने पर भी सहदायिक उसे अपनी अलग संपत्ति मान लेता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, संशोधन के कारण, सहदायिक के पुरुष और महिला बच्चों के बीच का अंतर समाप्त हो गया है और दोनों को सहदायिक के रूप में समान दर्जा दिया गया है।

(7) *एकमात्र जीवित सहदायिक द्वारा धारित संपत्ति*- एकमात्र जीवित सहदायिक द्वारा धारित संपत्ति, जब कोई विधवा अस्तित्व में न हो जिसे गोद लेने का अधिकार हो।

(8) *पृथक आय*- संयुक्त परिवार के सदस्य की पृथक आय।

(9) *विद्या प्राप्ति*- विद्या प्राप्ति के माध्यम से की गई सभी आय, हिंदू विद्या प्राप्ति अधिनियम, 1930 द्वारा, अर्जनकर्ता की पृथक संपत्ति घोषित की जाती है।

21. अनुच्छेद 231 सहदायिक और स्व-अर्जित संपत्ति के संबंध में उपधारणा की बात करता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदू परिवार का गठन हमेशा संयुक्त माना जाता है। जब भी परिवार की स्थिति को लेकर कोई विवाद होता है, तो उपधारणा के विपरीत दलील देने वाला पक्षकार उसे प्रमाणित करने के लिए बाध्य होता है और यही अनुच्छेद 231 की भावना है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सामान्य स्थिति में प्रत्येक हिंदू परिवार संयुक्त होगा। दूसरे शब्दों में, 'एक संयुक्त हिंदू परिवार होने पर, उपधारणा यह है कि जब तक विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक परिवार संयुक्त बना रहता है। पिता और पुत्रों के मामले में संघ की उपधारणा सबसे अधिक होती है। जब सहदायिक अलग हो जाते हैं, तो संयुक्तता के संबंध में कोई उपधारणा नहीं हो सकती।

चचेरे भाइयों की तुलना में भाइयों के मामले में अनुमान अधिक प्रबल होता है, और परिवार के संस्थापक से जितना दूर होता जाता है, अनुमान उतना ही कमजोर होता जाता है।

22. मुल्ला हिंदू विधि के 25वें संस्करण का अध्याय-XVI विभाजन और पुनर्मिलन-मिताक्षरा विधि से संबंधित है। उस विधि के अनुसार, विभाजन में संपत्ति का संख्यात्मक विभाजन शामिल है; दूसरे शब्दों में, इसमें संयुक्त संपत्ति में सहदायिकों के हिस्से निर्धारित करना शामिल है; संपत्ति का वास्तविक विभाजन सीमा के अनुसार आवश्यक नहीं है। एक बार हिस्से निर्धारित हो जाने पर, चाहे पक्षों के बीच किसी समझौते द्वारा या अन्यथा, विभाजन पूरा हो जाता है। हिस्से इस प्रकार निर्धारित हो जाने के बाद, पक्षकार संपत्ति को सीमा के अनुसार विभाजित कर सकते हैं, या वे पहले की तरह साथ-साथ रह सकते हैं और संपत्ति का साझा आनंद ले सकते हैं, लेकिन संपत्ति का स्वामित्व नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **कल्याणी बनाम नारायणन मामले में ए.आई.आर. 1980 सुप्रीम कोर्ट 1173** ने माना कि एक अर्थ में विभाजन संयुक्त स्थिति का विच्छेद है और सहदायिकता में सहदायिक व्यक्ति इसे अपनी इच्छा से दावा करने का हकदार है। एक बार जब कोई व्यवधान होता है, तो संयुक्त परिवार की स्थिति में भी व्यवधान आ जाता है और अधिकार स्थिर हो जाते हैं, हालाँकि इसके तुरंत बाद संपत्ति का वास्तविक विभाजन नहीं होता।

23. अनुच्छेद 322 पिता की असाधारण स्थिति से संबंधित है, जिसे अपने पुत्रों के साथ विभाजन करने का अधिकार दिया गया है, भले ही पुत्र की इच्छा न हो। अनुच्छेद 324 विभाजन कैसे किया जा सकता है, इसकी पद्धति निर्धारित करता है (क) वाद दायर करके विभाजन, (ख) समझौते द्वारा विभाजन (ग) मध्यस्थता द्वारा विभाजन।

24. अनुच्छेद 326 विभाजन के तथ्य पर साक्ष्य के साथ-साथ सबूत के भार के बारे में भी बात करता है। इसे निम्नलिखित तरीके से विस्तृत किया गया है:-

(i) सबसे स्पष्ट मामला वह है जहाँ एक संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त संपत्ति को सीमा और सीमाओं के आधार पर विभाजित करते हैं, और प्रत्येक सदस्य विभाजन पर उसे आवंटित हिस्से के अलग-अलग कब्जे और आनंद में होता है। स्थायित्व एक अनिवार्य विशेषता है, हालाँकि यह पूर्ण विभाजन की एकमात्र कसौटी नहीं है और एकमुश्त विभाजन की व्यवस्था भी।

(ii) अगला मामला प्रिवी काउंसिल द्वारा अप्रूवियर बनाम राम सुब्बा अय्यन मामले में निपटाया गया था, जहाँ सह-उत्तराधिकारियों ने विभाजन के उद्देश्य से एक लिखित समझौता किया, जिसके तहत वे अलग-अलग मालिकों के रूप में संयुक्त संपत्ति को निर्धारित शेयरों में रखने के लिए सहमत हुए। ऐसा लिखित समझौता कानून में विभाजन के रूप में कार्य करता है, हालाँकि संपत्ति का भौतिक रूप से विभाजन नहीं होता है। यह एक ऐसा मामला है जहाँ समझौता इस तथ्य पर पक्षों के संयुक्त संपत्ति को अलग-अलग मालिकों के रूप में रखने के इरादे की घोषणा करता है, और दस्तावेज़ के प्रभावों को नियंत्रित करने या बदलने

के लिए पक्षों के बाद के कार्यों का कोई साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है।

(iii) तीसरा मामला प्रिवी काउंसिल द्वारा *दूर्गा प्रसाद बनाम कुंदुन* मामले में निपटाए गए मामले जैसा है, जहाँ समझौता लिखित रूप में था, लेकिन दस्तावेज़ में पक्षों की संयुक्त संपत्ति को अलग-अलग मालिकों के रूप में रखने की मंशा की घोषणा नहीं की गई थी। ऐसे मामले में, जब यह प्रश्न उठता है कि क्या दस्तावेज़ विभाजन के रूप में कार्य करता है, तो पक्षों की मंशा का अनुमान निम्नलिखित से लगाया जा सकता है: (1) दस्तावेज़; और (2) उनके बाद के कार्यों से। जहाँ विभाजन के दस्तावेज़ में, एक सदस्य को उसका हिस्सा देने के बाद, यह प्रावधान था कि शेष संपत्ति को एक विशेष तरीके से विभाजित किया जाएगा और शेष सदस्यों को उत्तरजीविता के अधीन एक साधारण अविभाजित परिवार की तरह रहना होगा, प्रिवी काउंसिल ने यह माना था कि अन्य सदस्यों के बीच कोई विभाजन नहीं था।

(iv) अंतिम मामला प्रिवी काउंसिल द्वारा *गणेश दत्त बनाम ज्यूच* मामले में निपटाया गया था,

एक ऐसा मामला जहाँ कोई लिखित सामग्री नहीं थी। ऐसे मामले में, जब यह प्रश्न उठता है कि विभाजन हुआ है या नहीं, तो पक्षकारों के अलगाव के इरादे का केवल उनके कार्यों से ही अनुमान लगाया जा सकता है। यह प्रश्न तथ्य का है जिसका निर्णय सभी तथ्यों और परिस्थितियों के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया जाना है, और मुख्य रूप से यह दर्शाने का भार कि विभाजन हुआ है, उस व्यक्ति पर है जो इसे स्थापित कर रहा है। पुराने लेन-देन के मामले में, जब कोई समकालीन दस्तावेज़ नहीं रखा जाता है और जब लेन-देन में अधिकांश सक्रिय प्रतिभागियों की मृत्यु हो जाती है, हालाँकि भार अभी भी उस व्यक्ति पर रहता है जो दावा करता है कि विभाजन हुआ था, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से उचित अनुमान लगाकर साक्ष्य में अंतराल को भरना अधिक आसानी से स्वीकार्य है, बजाय उस मामले के जहाँ साक्ष्य समय बीतने के साथ नष्ट या नष्ट नहीं हुआ है। गणेश दत्त के मामले में, एक हिंदू विधवा ने आरोप लगाया कि उसका पति बी फसली 1295 में अपने तीन भाइयों से अलग हो गया था, और उसने अपने पति का हिस्सा वापस पाने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया। बचाव पक्ष यह था कि बी की मृत्यु संयुक्त और अविभाजित रूप से हुई थी। प्रिवी काउंसिल ने माना

कि विभाजन हुआ था, जैसा कि निम्नलिखित पाँच तथ्यों से स्पष्ट होता है: (1) परिवार के कुछ गाँवों के राजस्व का भुगतान, एक-चौथाई बी के नाम और तीन-चौथाई उसके तीन भाइयों के नाम; (2) फसली 1295 में बी को एक डिक्री के तहत परिवार द्वारा वसूले गए 35,000 रुपये के हिस्से का एक-चौथाई और तीन-चौथाई तीनों भाइयों को जमा करना; (3) परिवार के एक कारखाने के पट्टेदार द्वारा किराए का भुगतान, एक-चौथाई बी को और तीन-चौथाई तीनों भाइयों को; (4) फसली 1295 में चार भाइयों द्वारा अपने नाम पर एक संपत्ति की बराबर हिस्सेदारी में खरीद; और (5) बी की मृत्यु के बाद बी के दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में एक व्यक्ति द्वारा परिवार को देय ऋण वसूलने के लिए दायर किया गया मुकदमा; इस अंतिम तथ्य के संबंध में, यह ध्यान देने योग्य है कि यदि बी की मृत्यु अविभाजित रूप से हुई होती, तो मुकदमा जीवित भाइयों और दत्तक पुत्र द्वारा सहदायिक के रूप में दायर किया जाता। उपरोक्त मामले में, बी की विधवा की ओर से यह भी तर्क दिया गया था कि बी फसली 1295 में अपने भाई से भोजन और पूजा के मामले में अलग हो गया था, और यह तथ्य अपने आप में विभाजन का निर्णायक प्रमाण था। इस तर्क के संबंध में, उनके माननीय

न्यायाधीशों ने कहा: "समानता का हस्तांतरण एक ऐसा तत्व है जिस पर इस प्रश्न का निर्धारण करते समय विचार किया जा सकता है कि क्या संयुक्त परिवार की संपत्ति का विभाजन हुआ है, लेकिन यह निर्णायक नहीं है। इसलिए, यह विचार करना आवश्यक है कि क्या अन्य साक्ष्य इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं या खंडन करते हैं कि इस मामले में हस्तांतरण शब्द के कानूनी अर्थ में विभाजन के उद्देश्य से अपनाया गया था।" जैसा कि ऊपर कहा गया है, सामान्यता का हस्तांतरण विभाजन का निर्णायक प्रमाण नहीं है, इसका कारण यह है कि कोई सदस्य केवल अपनी सुविधा के लिए भोजन और निवास में अलग हो सकता है।

संयुक्त परिवार के सदस्यों का अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग निवास, जहाँ वे सेवा में हैं, अलगाव नहीं दर्शाता है। इसी प्रकार, अन्य कार्य, यद्यपि अपने आप में मान्य हैं; विभाजन का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं, फिर भी अन्य तथ्यों के साथ मिलकर उस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। ये हैं संयुक्त संपत्ति के कुछ हिस्सों का अलग-अलग कब्जा, संयुक्त संपत्ति की आय का विभाजन, भूमि राजस्व पंजीकरण अभिलेखों में संयुक्त संपत्ति में शेयरों का निर्धारण, आपसी लेन-देन आदि। केवल यह तथ्य कि सहदायिकों के शेयरों का पता लगा लिया गया है, अपने आप में यह

आवश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करता कि परिवार अलग हो गया है। अलगाव पर सहदायिकों के शेयरों का पता लगाने के लिए एक प्रस्तावित तत्काल अलगाव के अलावा अन्य कारण भी हो सकते हैं।

(v) कानूनी कार्यवाही में अलगाव की स्वीकृति, यदि स्पष्ट नहीं की गई है, तो विभाजन का एक बहुत ही ठोस सबूत हो सकता है।

25. चूँकि दोनों बिंदु आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, इसलिए संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाता है। वादीगण ने शुरू में यह घोषित करने के लिए वाद दायर किया था कि तिलो कुमारी द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 से 3 के पक्ष में निष्पादित तीन विक्रय विलेख वादीगण पर बाध्यकारी नहीं थे, लेकिन बाद में वर्ष 1978 में वाद में एक संशोधन लाया गया और उसके बाद वाद को विभाजन के वाद में परिवर्तित कर दिया गया। वादीगण ने दावा किया कि नरसिंह सिंह और उनके भाइयों के बीच संयुक्त परिवार की संपत्ति में कोई विभाजन नहीं हुआ था। वादीगण ने विवादित भूमि के संबंध में वादीगण और प्रतिवादियों के बीच स्वामित्व और कब्जे की एकता का भी दावा किया। वादीगण ने आगे दावा किया कि तिलो कुमारी (उत्तरदाता संख्या 4 की माँ) ने अपने भरण-पोषण और अपनी बेटी (बेटी संख्या 4) के भरण-पोषण के बदले में संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपना अधिकार, स्वामित्व और हित त्याग दिया। दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने दलील दी कि संयुक्त परिवार की संपत्ति का नरसिंह सिंह और उनके भाइयों के बीच पहले ही बंटवारा हो चुका था और यही कारण था कि नरसिंह सिंह बिक्री विलेखों के निष्पादन में शामिल नहीं हुए थे और यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे 1943 से पहले ही परिवार के अन्य सदस्यों से अलग हो

गए थे। वादी/प्रतिवादियों का इन ज़मीनों पर कोई अधिकार नहीं था और ये ज़मीनें वर्तमान मुकदमे में विभाजन के लिए उपलब्ध नहीं थीं। प्रतिवादियों ने यह भी दावा किया कि उत्तरदाता संख्या 1 से 3 के पक्ष में निष्पादित ज़मीनें उनके अधिकारों के अंतर्गत थीं और तिलो कुमारी (उत्तरदाता संख्या 4 की माँ) ने भरण-पोषण के बदले अपने अधिकारों का त्याग नहीं किया था। विचारण न्यायालय ने मुद्दा संख्या 4 पर निर्णय देते हुए यह माना कि उत्तरदाता यह साबित करने में विफल रहे हैं कि संयुक्त परिवार की संपत्तियों का पूर्व में बंटवारा हुआ था और मुद्दे का फैसला वादी के पक्ष में किया, जबकि मुद्दा संख्या 5 पर निर्णय देते हुए यह माना कि तिलो कुमारी ने भरण-पोषण के बदले संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपना अधिकार, स्वामित्व और हित नहीं छोड़ा था। इसके अलावा, मुद्दा संख्या 6 पर निर्णय देते हुए, विचारण न्यायालय ने यह माना कि वादी के बीच वादग्रस्त संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व और कब्जे में एकता है और मुद्दा संख्या 7 पर निर्णय देते हुए यह भी माना कि तिलो कुमारी को संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपने हिस्से के संबंध में बिक्री विलेख निष्पादित करने का अधिकार था। विचारण न्यायालय ने अंततः वादी के पक्ष में वादग्रस्त संपत्ति में 2/3 हिस्सा देते हुए वाद का फैसला सुनाया। इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री विरोधाभासों से भरी हैं। यह स्थापित कानून है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 के लागू होने के बाद तिलो कुमारी के सीमित अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के समक्ष पूर्ण हो गए। इसके अलावा, वादी द्वारा यह स्वीकार करने के बाद कि उत्तरदाता संख्या 1 से 3 के पक्ष में तिलो कुमारी द्वारा निष्पादित विवादित विक्रय विलेख वादी पर बाध्यकारी नहीं हैं, मूल राहत वादी पर बाध्यकारी नहीं है, संशोधन के बाद निरर्थक हो गई है, इसलिए वाद को

साधारण विभाजन के लिए बदल दिया गया है। इसके अलावा, विक्रय विलेखों की वैधता और स्वामित्व, हित और कब्जे की एकता के संबंध में निष्कर्ष एक साथ नहीं चल सकते।

26. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और निम्न न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों का अवलोकन करने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि निम्न न्यायालय ने कहा कि यह प्रतिवादियों की दलील थी कि सीमा और सीमा के आधार पर विभाजन हुआ था, लेकिन यह निष्कर्ष दिया गया कि स्वामित्व और कब्जे में एकता थी और संयुक्त परिवार का अस्तित्व था और कोई विभाजन नहीं हुआ था। जहाँ तक मृतक सह-उत्तराधिकारी नरसिंह के हिस्से का संबंध है, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता के अनुसार, उत्तरदाता संख्या 4 की माँ ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के तहत अपने पति के हिस्से का पूर्ण स्वामी के रूप में अधिग्रहण किया है और तिलो कुमारी द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 से 3 के पक्ष में निष्पादित कोई भी बिक्री विलेख वैध है और यहाँ तक कि उनकी बेटी (उत्तरदाता संख्या 4) भी विचारण न्यायालय में उपस्थित हुई और अपीलकर्ताओं की दलीलों का समर्थन करने का फैसला किया। इसके बावजूद, विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया है कि तिलो कुमारी (उत्तरदाता संख्या 4 की माँ) ने भरण-पोषण के बदले अपनी संपत्ति नहीं छोड़ी और विचारण न्यायालय ने यह भी माना कि निष्पादित बिक्री विलेख वैध थे। विचारण न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष दिया कि स्वामित्व और कब्जे में एकता थी और सीमाओं और मेट्स द्वारा कोई पूर्व विभाजन नहीं हुआ था। अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता का तर्क है कि बंटवारे के संबंध में, सामान्य नियम यह है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें बंटवारे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होता लेकिन यदि वास्तविक बंटवारा होता है तो कुछ महिलाएं बंटवारे में हिस्सा पाने की हकदार होती हैं।

27. मिताक्षरा कानून के तहत, कुछ व्यक्ति विभाजन का दावा करने के हकदार हैं और जहाँ तक महिलाओं का संबंध है, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें विभाजन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यदि वास्तविक विभाजन संयुक्त परिवार की संपत्ति में होता है, तो कुछ महिलाएं विभाजन में हिस्सा पाने की हकदार हैं। स्मृतिकार परिवार में महिलाओं के अधिकारों से अवगत थे, इसलिए कुछ महिलाएं जिन्हें विभाजन का दावा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यदि विभाजन होता है, तो वे ऐसे विभाजन में हिस्सा पाने की हकदार हैं। तीन महिलाएं हैं - पत्नी या विधवा, माँ और दादी, जो संयुक्त परिवार के विभाजन होने पर हिस्सा लेती हैं।

28. महिलाओं के अधिकारों के संबंध में, निम्नलिखित सिद्धांत प्रासंगिक हैं:

(i) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने से पहले, महिला को आवंटित हिस्सा उसका पूर्ण हित या स्त्रीधन नहीं था, बल्कि वापस कर दिया जाता था और उस हिस्से का हिस्सा बन जाता था जिसमें से वह आया था, सिवाय इसके कि उसे पूर्ण उपहार के रूप में दिया गया हो। लेकिन अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार, यह उसकी पूर्ण संपत्ति है।

(ii) सीमा-पत्र द्वारा विभाजन किए जाने से पहले और संपत्ति का वास्तविक विभाजन होने पर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के तहत महिला का

हित पूर्ण स्वामी नहीं बनता। उनका अधिकार केवल तभी उत्पन्न होता है जब विभाजन वास्तव में हो जाता है।

(iii) इसी प्रकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत, माता और विधवा मृतक हिंदू के वर्ग-। उत्तराधिकारी के रूप में हिस्सा लेती हैं, जो बिना वसीयत के मर जाता है और अविभाजित सह-सहकारी हित छोड़ जाता है। इन दोनों प्रावधानों ने विभाजन पर सहदायिक संपत्ति में हिस्सेदारी के उनके अधिकार को प्रभावित नहीं किया है।

29. मुल्ला हिंदू विधि के 25वें संस्करण का अध्याय-XVI विभाजन और पुनर्मिलन-मिताक्षरा विधि से संबंधित है। अनुच्छेद 315 विधवा माता से संबंधित है। जब तक पुत्र संयुक्त रहते हैं, तब तक माता विभाजन के लिए बाध्य नहीं कर सकती, हालाँकि, यदि पुत्रों के बीच विभाजन होता है, तो वह सहदायिक संपत्ति में पुत्र के बराबर हिस्से की हकदार है। वह पुत्रों और उनमें से एक या अधिक के हित के क्रेता के बीच विभाजन पर भी समान हिस्से की हकदार है। मिताक्षरा विधि के अंतर्गत, जब पिता की मृत्यु के बाद पुत्रों के बीच विभाजन होता है, तो माता और सौतेली माता दोनों पुत्र के बराबर हिस्से की हकदार होती हैं।

30. स्मृति चंद्रिका, II, 268 में कहा गया है: "द्विभागे क्रियमाणे पुत्रांश सममेवांशं हरे दित्यार्थ" (इसका अर्थ है कि जहाँ भी पुत्रों के बीच विभाजन होता है, विधवा-माँ को सह-दायिक संपत्ति में पुत्र के बराबर हिस्सा मिलेगा)।

31. *विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा एवं अन्य (2020) 9 एससीसी 1* में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 के संशोधन के आधार पर, एक पुत्री अब 9.9.2005 से सह-दायिक के विभाजन का दावा करने की हकदार हो गई है, जबकि सह-दायिक की पत्नी का संपत्ति में अपना अधिकार दावा करने का अधिकार किसी भी तरह से छीन नहीं लिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के कंडिका 85 में निम्नलिखित माना:

“85. विभाजन का दावा करने का अधिकार सहदायिक की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है, और सहदायिक वह होता है जो विभाजन का दावा कर सकता है।” बेटी अब 9-9-2005 से सहदायिक के विभाजन का दावा करने की हकदार हो गई है, जो कि कानून द्वारा लाया गया एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एक सहदायिक को स्थिति से विच्छेद की मांग करने का अधिकार प्राप्त है। धारा 6(1) और 6(2) के तहत, बेटी के अधिकार बेटे के समान हैं। विभाजन के अंत में, बेटों और बेटियों के अलावा, सहदायिक की पत्नी भी समान हिस्से की हकदार होती है। सहदायिक की पत्नी का संपत्ति में अपना अधिकार दावा करने का अधिकार किसी भी तरह से नहीं छीना जाता है।”

32. बाद में, हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *प्रशांत कुमार साहू एवं अन्य बनाम चारुलता साहू एवं अन्य (2023) 9 एससीसी 641* में रिपोर्ट किए गए *विनीता शर्मा (उपरोक्त)* मामले में लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराया और अपने निर्णय के

कंडिका 74.1 में विनीता शर्मा (उपरोक्त) के कंडिका 85 को उद्धृत किया और कहा कि यदि पिता और पुत्रों (और अब पुत्रियों) के बीच सह-दायिक संपत्ति का विभाजन होता है, तो पिता की पत्नी और पिता की विधवा माता को पुत्र (या पुत्री) के बराबर हिस्सा मिलेगा।

33. वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय के निष्कर्षों के अवलोकन से, अपीलकर्ता-प्रतिवादियों की दलीलों के संबंध में यह प्रतीत होता है कि पूर्व में सीमा-बंधन द्वारा विभाजन हुआ था। विचारण न्यायालय ने वादी-प्रतिवादियों के पक्ष में मुद्दा संख्या 4 का फैसला सुनाया और माना कि उत्तरदाता यह साबित करने में विफल रहे हैं कि पूर्व में सीमा-बंधन द्वारा विभाजन हुआ था। इसके अलावा, मुद्दा संख्या 5 का फैसला करते हुए, विचारण न्यायालय ने माना कि तिलो कुमारी ने भरण-पोषण के बदले में संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपना अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं छोड़ा और तिलो कुमारी द्वारा निष्पादित बिक्री विलेखों को बरकरार रखा (मुद्दा संख्या 7 का फैसला करते हुए) और साथ ही मुद्दा संख्या 6 का फैसला करते हुए यह माना कि वादी और मथुरा सिंह (उत्तरदाता संख्या 1) के बीच वाद संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व और कब्जे की एकता और संयुक्त परिवार का अस्तित्व था। हालाँकि, अगर यह माना भी जा सकता है कि सीमा-भेद से कोई विभाजन नहीं हुआ था, इन परिस्थितियों में, मैं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्कों से सहमत हूँ कि दोनों निष्कर्ष एक साथ नहीं हो सकते और यदि वास्तविक विभाजन कानून के अनुसार होता है कुलदीप सिंह के पुत्रों और उत्तरदाता संख्या 4 की विधवा माँ के बीच, तो प्रत्येक $1/4$ हिस्से का हकदार होगा क्योंकि वादीगण द्वारा विभाजन का मुकदमा दायर किया गया था। निम्न न्यायालय ने वादीगण को $2/3$ हिस्सा और उत्तरदाता-अपीलकर्ताओं को $1/3$ हिस्सा आवंटित करके त्रुटि की है और परिणामस्वरूप निम्न न्यायालय द्वारा दर्ज

किया गया निष्कर्ष कानून के अनुरूप नहीं पाया गया है। इस प्रकार, दोनों बिंदुओं का निर्णय उत्तरदाता-अपीलकर्ताओं के पक्ष में किया जाता है।

34. उपर्युक्त चर्चाओं के मद्देनजर, यह न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त उप न्यायाधीश, मुंगेर द्वारा स्वतंत्र वाद संख्या 116/1973/3/1977 में पारित दिनांक 24.06.1978 के निर्णय और दिनांक 04.07.1978 की डिक्री को रद्द करता है। यह न्यायालय यह मानता है कि मूल वादी-उत्तरदाता वादाधीन संपत्ति में 2/3 हिस्से के हकदार नहीं हैं, बल्कि मूल वादी-उत्तरदाता वादाधीन संपत्ति में केवल आधे हिस्से के हकदार हैं।

35. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, दोनों पक्ष अपनी लागत स्वयं वहन करेंगे।

(रुद्र प्रकाश मिश्रा, न्यायमूर्ति)

पंकज/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।

